5-8-19 वकील उत्तरपक्ष उपस्थित T.D.R रिपोर्ट अप्राप्त
वकील उत्तरपक्ष द्वारा कथन किया कि पक्षकारान
के मध्य रास्ते सम्बन्धी विवाद में राजीनामा हो
चुका है। अत: मुताबिक राजीनामा वाद स्वीकार
किया जावे। बहस पर मनन किया पत्रावली
का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थना
पत्र 251/ ART-A मुताबिक राजीनामा स्वीकार
किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 155/2017

1. रजीराम पुत्र श्री खेताराम
2. भानीराम } पिरासन
3. शंकरलाल } गोरादेवी

जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. बख्तावरसिंह
2. दलबारासिंह
3. सरजीतसिंह

पुत्रगण जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. बाबत रास्ता

उपस्थित अभिभाषगण

1. श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रामानन्द बोहरा अप्रार्थीगण

दिनांक :– 05.08.2019

– :: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 251 (क) आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीयान की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 10 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 164/301 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 21 एवं पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 12 ता 19, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 163/302 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 4, 5 पत्थर नम्बर 164/302 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1 कुल तादादी 16 बीघा यानि 4.048 हैक्टर दर्ज कागजात पटवार माल है जो प्रार्थीयान के नाम से मुश्तरकन कब्जा काश्त में चली आ रही है।

अप्रार्थीयान की कृषि भूमि इसी चक के पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 11, 20, 21 एवं पत्थर नम्बर 162/301 मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 164/303 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 10, 11, 20, 21 पत्थर नम्बर 163/303 मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 6, 15 पत्थर नम्बर 164/304 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 6.0720 हैक्टर दर्ज कागजात पटवार माल है। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि पत्थर नम्बर 162/301 मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.038 हैक्टर रास्ता स्वीकृत शुदा नहीं है।

प्रार्थीयान को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीयान अभी तक अपनी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 12, 19, 22 अप्रार्थीगण की कृषि भूमि इसी पत्थर 160/301 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 में से होकर आपसी रजामन्दी से आते जाते रहे है। चूंकि अप्रार्थीगण के किला नम्बर 11, 20, 21 जो मुख्य सड़क झाम्बर से झाम्बर की ढाणी, 10 के.एस.पी., मुण्डा को जाती है, पर स्थित है। अप्रार्थीगण भी इसी सड़क से होकर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते है एवं प्रार्थीयान भी इसी सड़क पर आकर अप्रार्थीगण के किला नम्बर 21 में होकर अपने किला नम्बर 22 में प्रवेश कर अपनी कृषि भूमि में आते जाते है। प्रार्थीयान की भूमि में आवागमन हेतु एक मात्र यही रास्ता उपलब्ध है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रार्थीयान ने अप्रार्थीगण को आपसी रजामन्दी से किला नम्बर 21 में किला नम्बर 22 के साथ दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की एक गट्ठा यानि सवा आठ फुट यानि 0. 0130 हैक्टर रास्ता स्वीकृत करने और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण इसके लिए इन्कार हो गये। नकल जमाबन्दी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एवं नक्शा नजरीया पेश है।

प्रार्थीगण रास्ता में प्राप्त की जाने वाली एक बिस्वा भूमि की एवज में अप्रार्थीयान को नकद राशि अथवा जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीयान को अपनी कृषि चक नम्बर 10 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 164/301 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 21 एवं पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 12 ता 19, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 163/302 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 4, 5 पत्थर नम्बर 164/302 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1 कुल तादादी 16 बीघा यानि 4.048 हैक्टर में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के नाम से अकिंत भूमि चक नम्बर 10 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 21 में दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व की और पत्थर लाईन के साथ एक बिस्वा यानि 0.0130 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 20.02.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये उभ्ज्ञयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा में कथन किया गया कि हम प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण का आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा हम अप्रार्थीगण यह स्वीकार करते है, कि प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि चक नम्बर 10 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 164/301 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 21 एवं पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 12 ता 19, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 163/302 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 4, 5 पत्थर नम्बर 164/302 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1 कुल तादादी 16 बीघा यानि 4.048 हैक्टर में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

हम अप्रार्थीगण नें प्रार्थीगण को उनकी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 10 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 21 में से दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व की और पत्थर लाईन के साथ साथ 0.019 हैक्टर रास्ता दिया हुआ है, इसी से प्रार्थीगण आवागमन करते है। अप्रार्थीगण इसी रास्ता को स्वीकृत करवानें हेतु अपनी सहमती प्रदान करते है एवम् उक्त रास्ता को रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया जावे। उक्त रास्ता की भूमि 0.019 हैक्टर की एवज में अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 12,19, 22 तीनो किलों में से कुल 0.020 हैक्टर भूमि का कब्जा दे दिया है। और इतनी ही भूमि का राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम से अंकन कर दिया जावे।

फरीकैन इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त राजीनामानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि आम काश्तकार को अपनी भूमि की जोत हेतु रास्ते की नितान्त आवश्यक्ता होती है इस सन्दर्भ में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से रास्ते सम्बंधी राजीनामा हो चुका है अतः मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

— :: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 10 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 21 में से दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व की और पत्थर लाईन के साथ साथ 0.019 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा। रास्ते की भूमि के बदले में मुताबिक राजीनामा मुआवजा स्वरुप प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 1 के.एस.पी के पत्थर नम्बर 163/301 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 12, 19, 22 तीनो किलों में से कुल 0.020 हैक्टर भूमि जो अप्रार्थीण की भूमि की चिपती हुई है को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का तथा रास्ते की भूमि के बदले में दिये जानें वाली भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:04:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: